



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062023-246836
CG-DL-E-27062023-246836

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2671]
No. 2671]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 27, 2023/आषाढ़ 6, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 27, 2023/ASHADHA 6, 1945

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2023

का.आ. 2791(अ).—सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3 के खंड (छ) के उपखंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार यह विनिर्दिष्ट करती है कि पब्लिक सेक्टर के सभी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और आईडीबीआई बैंक को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, 2023 नामक स्कीम को संचालित करने के लिए आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिकृत किया जाएगा।

(2) इस अधिसूचना के अधीन प्राधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्-

- प्रत्येक स्कीम के लिए, विनिर्दिष्ट कार्यक्षमता के साथ राष्ट्रीय बचत स्कीमों के संचालन और लेखांकन के लिए बैंक में समर्पित सॉफ्टवेयर होगा;
- बैंक उक्त स्कीम के अनुसार, पर्याप्त सुरक्षा जांच के अधीन ऑनलाइन मोड के माध्यम से उन सभी शाखाओं में प्रचालन का प्रबंधन कर सकता है जो कोर बैंकिंग समाधान से संबंधित हैं, और जो शाखाएं कोर बैंकिंग समाधान से संबंधित नहीं हैं, वे उक्त स्कीम को मैन्युअल रूप से संचालित कर सकती हैं;
- कोर बैंकिंग समाधान शाखाओं के मामले में सभी प्रेषण एक दिन के भीतर और गैर-कोर बैंकिंग समाधान शाखाओं के मामले में तीन दिनों के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में सरकारी खाते में जमा किए जाएंगे;

- (iv) खंड (iii) में यथाविनिर्दिष्ट अवधि से अधिक विलंब से प्रेषण के मामले में, बैंक जमाकर्ता को देय ब्याज दर एवं तीस दिनों तक की देरी के मामले में 0.5% और तीस दिनों से अधिक की देरी के मामले में 1% शास्ति के तुल्य राशि का भुगतान करेगा;
- (v) बैंक उचित कोड के अधीन विभिन्न लेनदेन की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को करेगा, और इस संबंध में बैंक की विफलता के मामले में वित्त मंत्रालय उक्त बैंक से शास्ति उद्धृत कर सकता है।
- (vi) बैंक, केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत युक्तिसंगत औचित्य के अध्याधीन, उन शाखाओं की सूची पहले ही घोषित करेगा जो ऊपर खंड (i) में यथाउल्लिखित किसी भी राष्ट्रीय बचत स्कीम का संचालन नहीं करेंगी;
- (vii) उक्त स्कीम के उपबंधों के अनुसार कार्य करने में बैंक की विफलता से उत्पन्न होने वाली किसी भी धनीय दायित्व के मामले में, बैंक राष्ट्रीय बचत स्कीमों को संचालित करने के लिए अनधिकृत किए जाने के अतिरिक्त दायित्व को वहन करने के लिए उत्तरदायी होगा;
- (viii) इन निबंधनों और शर्तों के अधीन शास्ति सहित कोई भी रकम किसी भी बैंक से शोध्य हो जाने की स्थिति में, केंद्रीय सरकार बैंक से राशि प्राप्त करेगी; और
- (ix) प्रत्येक बैंक उक्त स्कीम के अधीन सदस्यता और जमा राशि की निकासी के संबंध में समय-समय पर केंद्रीय सरकार को आवधिक रिपोर्ट या कोई अन्य अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण.- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "पब्लिक सेक्टर बैंक" शब्द का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 घ) के स्पष्टीकरण में उसका है।

[फा. सं. 1/3/2023-एनएस]

आशीष वच्छानी, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2023

S.O. 2791(E).—In pursuance of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (g) of section 3 of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby specifies that all public sector banks and ICICI Bank, Axis Bank, HDFC Bank Ltd. and IDBI Bank shall be authorised to operate the Scheme namely, Mahila Samman Savings Certificate, 2023 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

(2) The authorisation under this notification is subject to the following conditions, namely, that-

- (i) there shall be dedicated software in the bank for operation and accounting of National Savings Schemes with specific functionality for each scheme;
- (ii) the bank may manage the operations in accordance with the said Scheme, through on-line mode also in all branches that are on Core Banking Solution, subject to adequate security checks and the branches that are not on Core Banking Solution may operate the said Scheme manually;
- (iii) all remittances shall be credited to the Government Account at the Reserve Bank of India, Central Accounts Section, Nagpur within one day in case of Core Banking Solution branches and three days in case of non-Core Banking Solution branches;
- (iv) in case of delay in remittances beyond the period as specified in clause (iii), the Bank shall pay a penalty equal to the rate of interest payable to the depositor plus 0.5% in case of delays upto thirty days, and 1% in case of delays beyond thirty days;
- (v) the Bank shall report various transactions under proper codes to the Reserve Bank of India, and the Ministry of Finance may levy penalty in case of failure on this count by the Bank.
- (vi) the Bank shall, subject to the reasonable justification furnished to the Central Government, declare in advance the list of branches that shall not operate any of the National Savings Schemes as mentioned in clause(i) above;

(vii) in case of any pecuniary liability arising from the failure of the Bank to perform in accordance with the provisions of the said Scheme, the Bank shall be liable to bear the liability, in addition to being liable to be de-authorised to operate National Savings Schemes;

(viii) in case of any amount including penalties, becoming due from any Bank under these terms and conditions, the Central Government shall realise the amount from the Bank; and

(ix) every Bank shall submit a periodic reports or any other requisite information from time to time to the Central Government concerning the deposits of subscription and withdrawals under the said Scheme.

Explanation.- For the purposes of this notification, the expression “public sector bank” shall have the same meaning as assigned to it in the explanation to clause (23D) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

[F. No. 1/3/2023-NS]

ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.